



क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विजय पासवान, पिता-स्व० राजू पासवान, ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-हुडहुडु, थाना नं०-147, खाता संख्या-122, प्लॉट संख्या-809, रकबा-05 डी० भूमि दहनी देवी, पति-बंशी राम, ग्राम-हरला, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र, प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 129/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि</p> <p>क्रेता दहनी देवी एवं विक्रेता विजय पासवान अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकबा लगभग 33 डी० भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं धनी गोडाईत के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ठ सं० 46/II, पर मोती दुसाध के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता विजय पासवान का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/903307 दिनांक-26.11.2019 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2019/38038 दिनांक-31.10.2019 और क्रेता दहनी देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2019/998808 दिनांक-15.04.2020 एवं अंचल अधिकारी, झाड़ी, हजारीबाग द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/28418 दिनांक-20.08.2020 के आधार पर तथा अंचल</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आ कार टिप्पणी
	<p>अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-हुइहुइ, थाना नं0-147, खाता संख्या-122, प्लॉट संख्या-809, रकवा-05 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 22/01/22 अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> 22/01/22 अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	